न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 70–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 281/2004–05/अपील.

कप्तान सिंह पुत्र पतुआ
निवासी ग्राम छपरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– कल्याण सिंह पुत्र सितुरिया
निवासी ग्राम करही
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 कल्याण सिंह ग्राम करही का निवासी होकर उसे ग्राम छपरा का कोटवार वर्ष 2002 में नियुक्त किया गया है, और वह दिनांक 26–4–2004 तक कार्यरत रहा । दिनांक 5–2–2004 को ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 ग्राम छपरा का निवासी नहीं है, अतः उसे कोटवार पद से हटाया जावे, और छपरा ग्राम के किसी व्यक्ति को कोटवार

नियुक्त किया जाये । तद्नुसार नायब तहसीलदार वृत पिछोर तहसील डबरा द्वारा प्रकरण कमांक 01/2003–04/अ–56 दर्ज कर दिनांक 15–4–2004 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदक कमांक 1 कल्याण सिंह को कोटवार पद से पृथक करते हुए आवेदक कप्तान सिंह को ग्राम छपरा के कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी डबरा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–4–2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 15–4–2004 यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध जो भी शिकायत ग्रामवासियों, पटवारी आदि के द्वारा की गई है, उनकी जॉच की जाकर अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये जाकर उसे जवाब पेश करने व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसके विरूद्ध आवश्यकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये । साथ ही यह भी आदेश दिये गये कि आदेश होने तक अनावेदक कमांक 1 पूर्वानुसार कोटवारी पद पर कार्य करता रहेगा और आवेदक अब कोटवार के पद पर कार्य नहीं करेगा और उसकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जावेगा । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 ग्राम करही में निवास करता है, और उसकी उम्र 66 वर्ष हो गई है, इसलिए उसे कम दिखाई देता है, और वह पढ़ा–लिखा भी नहीं है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद से पृथक कर आवेदक की नियुक्ति करने में उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत अनावेदक कमांक 1 को आरोप पत्र देकर सम्पूर्ण जॉच उपरान्त उसे सेवा से पृथक किया गया है, इस वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 230 के नियम 4 के अनुसार

कोटवार की नियुक्ति उसी ग्राम के निवासी की किए जाने का प्रावधान है, अतः इसके विपरीत निष्कर्ष निकालने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही नहीं की जाकर अनावेदक कमांक 1 को सेवा से पृथक किया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद से पृथक करने के पूर्व न तो उसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, न ही उसे आरोप पत्र दिया गया है, और न ही किसी प्रकार की जॉच की गई है । अनावेदक कमांक 1 को केवल इस आधार पर कोटवार पद से पृथक कर दिया गया है कि वह ग्राम छपरा का निवासी नहीं है, इसलिए कोटवार द्वारा की जाने वाले वसूली की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है, इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, और कोटवार पद से पृथक करने के पूर्व विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाकर आरोप पत्र दिया जाना चाहिए, और उनकी विस्तृत जॉच कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिए । उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर